लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रथम बैठक की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील का अभिभाषण

नई दिल्ली, 13 मई, 2012

माननीय संसद सदस्यो और महानुभावो,

मुझे आज के इस समारोह में भाग लेते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना की वर्षगांठ मनाई जा रही है। साठ वर्ष पूर्व, 13 मई, 1952 को लोक सभा और राज्य सभा के पहले सत्र, देश के पहले आम चुनाव के बाद आयोजित किए गए थे। इसी दिन संसद के नए चुने गए सदस्यों ने शपथ ली थी और यह अत्यंत सुखद है कि उन में से चार संसद सदस्य श्री रिशांग किसिंग, जो अभी भी संसद सदस्य हैं, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री कंडाला सुब्रह्मण्यम तथा श्री के. मोहना राव आज भी हम लोगों के बीच हैं। मैं उन्हें तथा यहां उपस्थित सभी लोगों को बधाई देती हूं।

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि आजादी प्राप्त करने तथा अपना संविधान अंगीकार करने के बाद यह देश लगातार लोकतंत्र के मार्ग पर चलता रहा है। आजादी के बाद के उन शुरूआती दिनों में, कुछ संशयवादियों को इसमें संदेह था कि भारत जैसे इतने बड़े और विभिन्नतापूर्ण देश में लोकतंत्र टिक भी पाएगा या नहीं। हमने उन्हें गलत सिद्ध करके दिखा दिया। एक निष्पक्ष और खुली चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, बार-बार, संविधान के अनुसार संसद, राज्य विधायिकाओं तथा स्थानीय निकायों के लिए प्रतिनिधि चुने गए हैं। हमारा रिकार्ड शानदार रहा है तथा हमने जिस दृढ़ता से लोकतंत्र को अपनाया है उसकी चारों और भूरी-भूरी प्रशंसा हुई है।

तथापि, आज दुनिया भर के लोकतंत्र जटिल परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न कारणों से दबाव विकसित हो रहे हैं- विकास के लिए मांगे बढ़ रही हैं, लोग अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रहे हैं और विभिन्न तरह की

विचारधाराएं सामने आ रही हैं। हर समय विभिन्न तरह की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की परिस्थिति बनी रहती है। अब जनादेश अधूरे प्राप्त हो रहे हैं। अधिकतर सरकारें मिली–जुली बन रही हैं तथा विधायिकाओं में बहुत से दल मौजूद होते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी सामने आ रही हैं। पिछले दशक के दौरान मीडिया का भी विस्फोट हुआ है। इस प्रकार आज लोकतंत्र ऐसे परिवेश में कार्य कर रहा है जो कि जहां एक ओर आंतरिक है वहीं ऐसी जटिल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच, ऐसे विश्व में काम कर रहा है जो कि अधिक एकीकृत तथा एक दूसरे पर निर्भर है। इस पृष्ठभूमि में, भारत, शासन की एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से, देश को शांति, विकास और प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है, जिसमें, संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं की पवित्रता सुरक्षित रहे। लोकतंत्र के समक्ष जो बड़ी चुनौती है, वह यह है कि वह एक जीवंत और स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़े। इसलिए सावधानीपूर्वक, दृढ़निश्चय के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, जिससे हम एक प्रगतिशील और स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने के मुख्य लक्ष्य से भटक न जाएं। इसके लिए विभिन्न पहलू महत्त्वपूर्ण हैं तथा उन पर विचार किया जाना चाहिए। मैं उनमें से कुछ पर चर्चा करना चाहूंगी।

चुनाव किसी भी लोकतंत्र की नींव का पत्थर होते हैं और इसीलिए एक लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ है, मजबूत चुनाव प्रक्रिया। हमारे निर्वाचन आयोग ने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इतने बड़े निर्वाचक मंडल के चुनाव आयोजित करके बहुत शानदान कार्य किया है। तथापि, हमें अपनी प्रणालियों में लगातार सुधार करना होगा तथा चुनाव प्रक्रियाओं और अपने समाज से सभी तरह के भ्रष्ट तथा अनुचित कार्यों को दूर करना होगा।

संसद जनता की आकांक्षाओं का मंदिर है। इसलिए जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को यहां पर नीतिगत निर्णयों और अपेक्षित कानूनों में तबदील करना होगा। परिचर्चाएं दु:साध्य तथा विभिन्न विषयों पर हो सकती हैं परंतु सामाधान संसद में परिचर्चाओं के द्वारा निकाला जाना चाहिए और सुस्थापित संसदीय परंपराओं के द्वारा उनका हल निकाला जाना चाहिए। सांसद जनता की सेवा करते हैं। इस संदर्भ

में महात्मा गांधी की कविता 'एक सेवक की प्रार्थना' में उनके द्वारा व्यक्त शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था, ''एक विनम्र सेवक तथा जनता का मित्र होने के नाते हम कभी भी उनसे दूर न हों जिनकी सेवा हम करना चाहते हैं।''

लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ, जिम्मेदारियों को आपस में बांटना भी है। लोकतंत्र तभी टिका रह सकता है, फल-फूल सकता है और प्रगति कर सकता है जबकि सभी भागीदारों को तथा विचारों की भिन्नता को सम्मान दिया जाए और जहां लोकतंत्र की संस्थाएं कुल मिलाकर सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य करें। चाहे वह विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, अथवा नागरिक हों या फिर मीडिया, उन्हें जिम्मेदारी के साथ एक भूमिका निभानी होगी तथा संविधान कानून के शासन को बनाए रखना होगा। लोकतंत्र तभी टिका रह सकता है जब कि राष्ट्रीय हितों, सामाजिक उद्देश्यों तथा एक-दूसरे के प्रति सरोकार मौजूद हों। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, ''लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नही है। वह मुख्यत: संयुक्त, पारस्परिक अनुभवों के साथ मिल-जुलकर रहने का एक तरीका है। यह मूलत: अन्य मानवों के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा की मन: स्थिति है।''

इसके साथ ही, लोकतंत्र सहभागितापूर्ण होना चाहिए। इस दिशा में एक बड़ा कदम वह था जब संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को पारित किया था। इनके तहत जनजातीय लोगों, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं सहित, जोकि कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों में प्रावधान किया गया है। इससे बुनियादी स्तर तक लोकतंत्र का विस्तार तथा पहुंच हो पाई है।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों तथा विश्वपटल पर हमारी छवि का निर्माण करने वाले सहिष्णुता तथा सौहार्द के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए तथा उनको सुरक्षित रखते हुए विकास तथा स्वतंत्रता का आनंद उठाया जाए। साठ वर्ष की अपनी यात्रा के उपरांत, हमें इस अवसर पर, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और एक सुस्थापित लोकतंत्र के माध्यम से मिल-जुल कर कार्य करने का संकल्प लेना होगा। जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है:-

ऐक्यं बलं समाजस्य तदभावे स दुर्बलः।

जिसका अर्थ है, एकता किसी भी समाज की ताकत होती है तथा समाज इसके बिना कमजोर होता है।

भारत ने अभी तक, विचार-विमर्श तथा सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए लोकतंत्र के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता दर्शाई है। लोकतंत्र से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारे राष्ट्रत्व की जड़ मूल है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों तथा महात्मा गांधी के अनुकरणीय नेतृत्व में लड़े गए एक लंबे और बेजोड़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिफल का आनंद उठा रहे हैं। इसलिए हमारे कंधों पर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी आ गई है। हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। हमने तरक्की की है और आज हमें एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसमें बहुत क्षमता विद्यमान है। हम मिल-जुल कर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मैं सभी सदस्यों को स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति की याद दिलाना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, ''इस धरती पर पहले भी बहुत से महान कार्य हुए हैं और अभी और अधिक महान कार्यों को करने का समय तथा अवसर दोनों ही मौजूद हैं।'' मुझे उम्मीद है कि वर्तमान पीढ़ी के सभी भागीदारों के निष्ठापूर्ण प्रयासों से, लोकतंत्र का हमारा रथ, हर एक कठिनाई और चुनौती पर विजय पाता हुआ देश को प्रगति और समृद्धि की दिशा में लेकर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित आप सभी को तथा हमारे देश के सभी निवासियों को फिर से शुभकामनाएं देती हूं।

धन्यवाद,

जयहिंद।